Ref. Purchase/2026-27/199 Date- 27.05.2026

किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सुलतानपुर

सभी 2 नग ब्वायलर के अन्दर एवं बाहरी सफाई का कार्य हेतु अतिरिक्त नियम एवं शर्तें:–

क्र0सं0	कार्य का विवरण	दर एक मुस्त
1.	दोनो ब्वायलरों के टयूबो की बाह्‌य एवं आन्तारिक सफाई–02 नग ब्वायलर,	
2.	दोनो ब्वायलरों के एयर हीटर ट्यूबो की आन्तारिक सफाई 02 नग एयर हीटर,	
3.	दोनो ब्वायलरो के वेट स्वर एवं चिमनी की आन्तरिक सफाई	
4.	ब्वायलरो के सामने लगी प्लेटो के बीच जमी राख को निकालने के लिए आवश्कतानुसार प्लेटो को खोल कर निकालना तथा सफाई करने के पश्चात् पुनः बांधना।	
5.	वाटर सौफटेनिगं प्लाण्ट के पिट की सफाई करना तथा इसकी दिवारो को चुने से दो कोट पुताई करना।	
6.	दोनो ब्वायलर के चारो ड्रम की आन्तरिक सफाई।	
7.	दोनो ब्वायलर के चारो ड्रम की इण्टरनल फिटिगं की सफाई।	

अतिरिक्त नियम एवं शर्तें:–

1. समस्त कार्य मुख्य अभियन्ता के निर्देशानुसार करना होगा तथा दिये गये समय के अन्दर पूर्ण करना होगा।
2. कार्यादेश प्राप्ति के दो दिन के अन्दर प्रारम्भ कर विलम्बतम् 30 दिन मे समाप्त करना होगा। प्रतिदिन आवश्यकतानुसार मजदूर कार्य पर लगाने होगे। कार्य के क्रमांक संख्या 3 पर अंकित कार्य मिल चलने से एक माह पूर्व पुनः पूर्ण करना होगा।
3. समस्त कार्य ब्वायलर स्टेशन प्रभारी/मु0अ0 के निर्देशानुसार व समय से सम्पादित करना होगा।
4. कार्य को सम्पादित करने के लिए आवश्यक सामान मिल द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
5. यदि निर्धारित समय के अन्दर या सन्तोषजनक ढंग से कार्य सम्पादित नही किया जाता है, या बीच मे छोड दिया जाता है तो ठेकेदार की फरफॉरमेन्स सिक्योरटी की धनराशि एवं देय धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. नियमानुसार लगने वाले आयकर/अन्य कर की कटौती आपके बिलो से की जायेगी।
7. जी0एस0टी0 का भुगतान मिल को जी0एस0टी0 लाभ लिये जाने के उपरान्त किया जायेगा।
8. ठेकेदार के चालू बिलो का भुगतान अधिकतम् 70 प्रतिशत होगा, जो मुख्य अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा। अवशेष 30 प्रतिशत सीजन प्रारम्भ होने पर कार्य संतोषजनक पाये जाने पर मुख्य अभियन्ता की सस्तुति उपरान्त देय होगा।
9. कार्य के दौरान ठेकेदार या ठेकेदार की लेबर को चोट आदि लगने पर मिल की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
10. चयनित फर्म को कार्य मे प्रयुक्त लेबर का बीमा कार्यादेश के 10 दिवस के अन्तर्गत चीनी मिल कार्यालय मे उपलब्ध कराना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

11. चयनित फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु प्रयुक्त लेबर को कार्य के दौरान सेफ्टी उपकरण युक्त रहना आवश्यक है जो चयनित फर्म को उपलब्ध कराने होगे।
12. ठेकेदार या उसकी लेबर के द्वारा मिल को किसी प्रकार की क्षति पहुचायी जाती है तो उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार की परफोरमेन्स सिक्योरटी या अन्य देय से की जायेगी।
13. ठेकेदार को अपनी लेबर आदि के रहने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
14. किसी भी विवाद के लिए प्रधान प्रबन्धक का निर्णय अन्तिम होगा।
15. निविदादाता को जी0एस0टी0/पैन कार्ड/आधार कार्ड/अनुभव हेतु कार्यादेश अपलोड करना अनिवार्य होगा।
16. पुर्व मे चीनी मिल मे कार्य का अनुभव जिसका कार्यादेश हो उपलब्ध कराये।
17. मिल के प्रधान प्रबन्धक को निविदा की शर्तो में संशोधन करने तथा कोई भी या सभी निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

25.06.25
कार्य प्रभारी   मुख्य अभियन्ता   मुख्य रसायनविद्   मुख्य लेखाकार   प्रधान प्रबन्धक

Scanned with OKEN Scanner